तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज दिनेश कुमार बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 01/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.01.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी दिनेश कुमार विश्नोई पुत्र रामचन्द्र निवासी प्लॉट नं. 8, सुस्वाणी माता कॉलानी, मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 24.11.2017 में उसके द्वारा (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–65 पुराना व वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–62 जोधपुर शहर के पावटा, महामंदिर, मण्डोर जोधपुर होते हुए नागौर की तरफ जाता है। पावटा से मण्डोर, जोधपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–62 के केन्द्र बिन्दु/डिवाडर के दोनों तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई कितने मीटर/फुट निर्धारित है व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	